



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

1 माघ, 1946 (श०)

संख्या - 64 राँची, मंगलवार,

21 जनवरी, 2025 (ई०)

गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ।

अधिसूचना

10 जनवरी, 2025

संख्या-06/अभि0-22/01/2010-204--विभागीय अधिसूचना संख्या-3126, दिनांक-30.05.2024 में कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग की अधिसूचना सं0-8297, दिनांक-24.12.2024 के आलोक में आंशिक संशोधन करते हुए यू०ए०(पी०) एक्ट के तहत गठित तीन सदस्यीय प्राधिकार समिति का पुर्नगठन निम्न रूप से किया जाता है :-

1	गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग के प्रतिनिधि	श्री प्रदीप तिग्गा, विशेष सचिव, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची।
2	अभियोजन निदेशालय के प्रतिनिधि	श्री आनन्द कुमार लकड़ा, उप निदेशक, अभियोजन निदेशालय, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची।
3	विधि विभाग के प्रतिनिधि	श्री मनीष मणिकान्त प्रधान, अवर सचिव-सह-उप विधि परामर्शी।

2. श्री प्रदीप तिग्गा, विशेष सचिव, गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची प्राधिकार समिति के अध्यक्ष होंगे ।
3. श्री आनन्द कुमार लकड़ा, उप निदेशक प्राधिकार समिति के सदस्य सचिव होंगे ।
4. श्री प्रदीप तिग्गा, विशेष सचिव की अनुपस्थिति में श्री आनन्द कुमार लकड़ा, उप निदेशक प्राधिकार समिति के कार्यकारी अध्यक्ष होंगे ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

धनेश कुमार,
सरकार के अवर सचिव ।
